

7. यह कि जब भी संपत्ति मालिक को किरायाधीन भाग की आवश्यकता होगी तो वह किरायेदार को किरायाधीन भाग खाली करने हेतु एक माह पूर्व सूचना देना होगी ।
8. यह कि किरायेदार किरायाधीन भाग में किसी भी प्रकार से कोई भी रद्दोबदल, तोड़फोड़ परिवर्तन आदि बिना संपत्ति मालिक की अनुमति के बिना अपनी मर्जी से नहीं करेगा ।
9. यह कि किरायेदार उक्त किरायाधीन भाग पर कोई भी गैर कानूनी व्यवसाय नहीं करेगा और किरायाधीन भाग में ऐसी कोई वस्तु नहीं रखेगा जिससे धमाका होने और दुकान को नुकसान पहुँचने की आशंका हो ।
10. यह कि किरायाधीन सम्पत्ति में किरायेदार स्वयं के व्यय से समय-समय पर उसकी रंगाई पुताई एवं सफाई करवायेगा ।
11. यह कि किरायाधीन सम्पत्ति का किराया लगातार दो माह तक अदा नहीं किया गया तो दुकान मालिक अपने किरायाधीन भाग को खाली कराने के पूर्ण अधिकारी होंगे ।
13. यह कि उक्त किरायेदारी अवधि समाप्त होने के पश्चात यदि दानों पक्षकार सहमत हुए तो किरायेदारी को 10 प्रतिशत किराया राशि बढ़ाकर किराये पर दिया जा सकेगा जिसमें किरायेदार की पूर्ण सहमति है ।
14. यह कि अनुबंध में लिखित शर्तों का पालन दोनों पक्षकार विधिवत रूप से करने के लिये वचनबद्ध रहेंगे ।

अतएव उपरोक्तनुसार यह किरायानामा अनुबंध पत्र दोनों पक्षकारों के मध्य बिना किसी दबाव के दो गवाहों के समक्ष बिना किसी नशे पत्ते के निष्पादित कर दिया कि प्रमाण रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे । दिनांक-19/12/2025,

**साक्षी-01**

नाम-.....  
पिता का नाम-.....  
निवासी.....

हस्ताक्षर दुकान मालिक

**साक्षी-02**

नाम-.....  
पिता का नाम-.....  
निवासी-.....

हस्ताक्षर किरायेदार